

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III —खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937

No. 329]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नौएडा, 16 जून, 2015

सं.—8—भा.अ.ज.प्रा./स्था/16/97 (पी.टी. II).—भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् —

I. सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) यह विनियम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति (नौवां संशोधन) विनियम, 2015 कहे जायेंगे।
- (ii) यह विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

II. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति विनियम, 1992 की अनुसूची में ट्रेसर, ड्राफ्ट्समैन और वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन के पदों से संबंधित क्रम संख्या—31, 32 और 33 के पदों का प्रतिस्थापित नामकरण क्रमशः ड्राफ्ट्समैन ग्रेड—III, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड—II और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड—I होगा।

III. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड—III, ड्राफ्ट्समैन ग्रेड—II और ड्राफ्ट्समैन ग्रेड—I के भर्ती नियम की अनुसूची के विभिन्न स्तंभों में निम्नलिखित संशोधन/परिणामस्वरूप होने वाले प्रतिस्थापन।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड (पीबी) और ग्रेड पे / वेतनमान	चयनित पद या अचयनित पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
31. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-III	*8 (2015) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तनीय।	ग्रुप 'सी'	पे बैंड-2 रु. 5200-20200 +ग्रेड पे 2400	लागू नहीं	20 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देश/आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 35 वर्षों तक छूट)	अनिवार्य : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान के समकक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप में दो वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र ऐच्छिक : ड्राफ्ट्समैन कार्य में एक वर्ष का अनुभव

क्या सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नत होने वाले व्यक्ति के संबंध में लागू होगा	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण द्वारा भर्ती की पद्धति क्या है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने का प्रतिशत क्या है	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामलों में किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है
8	9	10	11	12
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	लागू नहीं

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड (पीबी) और ग्रेड पे / वेतनमान	चयनित पद या अचयनित पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
32. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-II	*5 (2015) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तनीय	ग्रुप 'बी'	पे बैंड-2 रु. 9300- 34800 +ग्रेड पे 4200	अचयनित	20 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देश/ आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 35 वर्षों तक छूट)	अनिवार्य : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल/मैरिन इंजिनियरिंग में डिप्लोमा या ड्राफ्ट्समैन (सिविल) में डिप्लोमा ऐच्छिक : प्रतिष्ठित संस्थान जैसे पोर्ट/शिपयार्ड/मैरिन संस्थान/सिंचाई विभाग से क्रम में तीन वर्षों का अनुभव

क्या सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नत होने वाले व्यक्ति के संबंध में लागू होगा	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण द्वारा भर्ती की पद्धति क्या है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने का प्रतिशत क्या है	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामलों में किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/अवशोषण किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है
8	9	10	11	12
नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष पदोन्नति के लिए शून्य	पदोन्नति से 100% और पदोन्नति न होने के कारण सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : ड्राफ्ट्समैन-III के पद पर 10 वर्षों की नियमित सेवा	मुख्य अभियंता, निदेशक, सहायक निदेशक

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड (पीबी) और ग्रेड पे / वेतनमान	चयनित पद या अचयनित पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक और अन्य अर्हता
1	2	3	4	5	6	7
33. ड्राफ्ट्समैन ग्रेड-1	*2 (2015) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तनीय	ग्रुप 'बी'	पे बैंड-2 रु. 9300- 34800 +ग्रेड पे 4200	अचयनित	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देश / आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 35 वर्षों तक छूट)	अनिवार्य : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से मैट्रिक परीक्षा या समकक्ष (ii) मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल / मैरिन इंजिनियरिंग में डिप्लोमा या ड्राफ्ट्समैन (सिविल) में डिप्लोमा ऐच्छिक : प्रतिष्ठित संस्थान जैसे पोर्ट / शिपयार्ड / मैरिन संस्थान / सिंचाई विभाग से क्रम में तीन वर्षों का अनुभव

क्या सीधी भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षणिक अर्हता पदोन्नत होने वाले व्यक्ति के संबंध में लागू होगा	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या अवशोषण द्वारा भर्ती की पद्धति क्या है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा रिक्त पदों को भरे जाने का प्रतिशत क्या है	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन के मामलों में किस ग्रेड से पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / अवशोषण किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है
8	9	10	11	12
नहीं	सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष पदोन्नति के लिए शून्य	पदोन्नति से 100% और पदोन्नति न होने के कारण सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति : ड्राफ्ट्समैन-11 के पद पर 4 वर्षों की नियमित सेवा	मुख्य अभियंता, निदेशक, सहायक निदेशक

त. साई अमृथा देवी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./374/15(218)]

टिप्पणी : भारत के राजपत्र में दिनांक 26.08.1992 को प्रकाशित भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति विनियम, 1992 मूल विनियमन हैं, देखें संख्या-6-भाअजप्रा/स्था/4/90, इसके उपरांत दिनांक 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 26.05.2001, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011 और 05.11.2011 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित।

INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Noida, the 16th June, 2015

No. 8-IWAI/Estt/16/97 (Pt.-II).—In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (1982 of 1985), with the previous approval of the Central Government, the Inland Waterways Authority of India hereby makes the following Regulations viz:

I. GENERAL :

1. Short Title and Commencement :

(i) These regulations shall be called the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion (Ninth Amendment) Regulations, 2015.

(ii) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Gazette of India.

II. In the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, the schedule against Serial No. 31, 32 and 33 relating to the posts of Tracer, Draftsman and Senior Draftsman, the nomenclature of these posts shall be substituted as Draftsman Grade-III, Draftsman Grade-II & Draftsman Grade-I respectively.

III. Following are the amendments/consequential substitutions in various columns of the schedules of RRs of Draftsman Grade-III, Draftsman Grade-II & Draftsman Grade-I:—

SCHEDULE

Name of post	No. of post(s)	Classification	Pay Band (PB) and Grade Pay (GP)/Pay Scale	Whether selection post or Non-Selection Post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
31. Draftsman Grade III	*8 (2015) *subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Pay Band-2 Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs.2400	Not Applicable	Between 20 to 27 years (relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions/ orders issued by the Central Government)	Essential: (i) Matriculation or equivalent from a recognized Board/ University. (ii) Two years Diploma/ Certificate in in Draftsmanship from an Industrial Training Institute of equivalent recognized institutions. Desirable: One year experience in Draftsmanship.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruits or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition
8	9	10	11	12
Not Applicable	Two years	Direct Recruitment	Not Applicable	Not Applicable

Name of post	No. of post(s)	Classification	Pay Band (PB) and Grade Pay (GP)/Pay Scale	Whether selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
32. Draftsman Grade II	*5 (2015) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4200	Non Selection	Between 20 and 27 years (relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions/ orders issued by the Central Government)	Essential: i) Matriculation or equivalent from a recognized Board/ University. ii) Diploma in Civil/Marine Engineering or Diploma in Draftsmanship (Civil) from a recognized institution. Desirable: Three years' experience in the line in an organization of repute e.g. Ports/ Shipyards/Marine Organization/ Irrigation Deptt. Etc.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruits or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition
8	9	10	11	12
No	2 years- for direct recruit Nil for promotee	100% by Promotion failing which by direct recruitment	Promotion: Draftsman Grade-III with ten years of regular service in the Grade	Chief Engineer, Director, Assistant Director

Name of post	No. of post(s)	Classification	Pay Band (PB) and Grade Pay (GP)/Pay Scale	Whether selection post or Non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
33. Draftsman Grade- I	*2 (2015) *subject to variation dependent on work load	Group 'B'	Pay Band-2 Rs.9300-34800 + Grade Pay Rs.4200	Non-Selection	Not exceeding 30 years (relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government)	Essential: (i) Matriculation or equivalent from a recognized Board/ University. (ii) Diploma in Civil/Marine Engineering or Diploma in Draftsmanship (Civil) from a recognized institution. Desirable: Three years experience in the line in an organization of repute e.g. Ports/ Shipyards/Marine Organisation/ Irrigation Deptt. etc.

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruits or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition
8	9	10	11	12
No	2 years- for direct recruit Nil for promotee	100% by Promotion failing which by direct recruitment	Promotion: Draftsman Grade- II with four years of regular service in the Grade	Chief Engineer, Director, Assistant Director

D. SAI AMUTHA DEVI, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext/374/15(218)]

Foot Note: Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, published in the Gazette of India on 26.08.1992, vide No. 6-IWA/Estt/4/90, are the principal regulations. Subsequent amendments carried out vide Notifications dated 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 26.05.2001, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011 and 05.11.2011.

अधिसूचना

नौएडा, 17 जून, 2015

सं.—3—भा.अ.ज.प्रा./स्था/20/2012.—भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 1982) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् —

I. सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- (i) यह विनियम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति (दसवां संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा।
- (ii) यह विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

II. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति विनियम, 1992 में विनियम 19 “प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण” निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगा :—

“19. प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानांतरण—‘प्रतिनियुक्ति’ का आशय केन्द्रीय/राज्य सरकार, सांविधिक या स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न विभागों से अस्थायी आधार पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति करना। हालांकि, विभागीय अधिकारियों को उनके पदोन्नति क्रम से इतर पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे उन पदों के लिए विनिर्दिष्ट पात्रता मापदंड को पूरा करते हों।

प्रतिनियुक्ति की समयावधि सहित वेतन और भत्ते कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होगा”।

त. साई अमृता देवी, सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./374/15(218)]

टिप्पणी : भारत के राजपत्र में दिनांक 26.08.1992 को प्रकाशित भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति विनियम, 1992 मूल विनियमन हैं, देखें संख्या—6—भाअजप्रा/स्था/4/90, इसके उपरान्त दिनांक 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 26.05.2001, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011, 05.11.2011 और 16.06.2015 की अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित।

NOTIFICATION

Noida, the 17th June, 2015

No. 3-IWAI/Estt/20/2012.—In exercise of the powers conferred by Section 35 of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (1982 of 1985), with the previous approval of the Central Government, the Inland Waterways Authority of India hereby makes the following Regulations viz:

I. GENERAL

1. Short Title and Commencement:

- (i) These regulations shall be called the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion (Tenth Amendment) Regulations, 2015.
- (ii) They shall be deemed to have come into force from the date of publication in the Gazette of India.

II. In the Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, the Regulation 19 “Transfer on Deputation” shall be substituted as under:—

“19. Transfer on Deputation – The term ‘deputation’ shall normally cover appointments made by transfer on a temporary basis from other departments of the Central/State Governments, Statutory or Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings. However, departmental officers may be considered for appointment on deputation to the posts which are not in their line of promotion, provided they fulfill eligibility criteria prescribed for the post.

The pay and allowances as well as tenure of deputation shall be governed by the Government of India, DOPT guidelines issued in this regard from time to time.”

D. SAI AMUTHA DEVI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./374/15(218)]

Foot Note : Inland Waterways Authority of India Recruitment, Seniority and Promotion Regulations, 1992, published in the Gazette of India on 26.08.1992, vide No. 6-IWAI/Estt/4/90, are the principal regulations. Subsequent amendments carried out vide Notifications dated 09.07.1993, 15.07.1993, 10.09.1994, 26.05.2001, 14.08.2004, 11.03.2010, 19.02.2011, 05.11.2011 and 16.06.2015.